

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2110/2022 हेमन्त कुमार साद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर निर्स्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में रामायि, कालकीमाता, प.स.-धरियावाद, जिला-प्रतापगढ़ में अध्यापक लेवल-2 के पद पर तथा याचिकार्थी की पत्नी राउप्रावि पादरडी, गृहजिला डूंगरपुर में अध्यापक लेवल-2 के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी के दो छोटे बच्चे हैं, याचिकार्थी के माता-पिता शुगर व ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तथा याचिकार्थी के स्वयं के घुटने में सर्जी हो चुकी है जिसके कारण याचिकार्थी को सबकी देखभाल करने में दूररथ कार्य करते हुए कई परेशानियां हो रही हैं। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति-पत्नी प्रकरण (यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) में कार्यरत किया जावे) के आधार पर प्रतापगढ़ जिले से डूंगरपुर जिले में पदरथापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनरथ) सेवा नियम-2021 के अनुसार अध्यापक लेवल-2 पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक लेवल-2 का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर रथानान्तरण करने से जिलान्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक लेवल-2 के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में रथानान्तरण करने से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही जाएगा जिससे अव्यवस्था हमी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुचूल नहीं है।

याचिकार्थी द्वारा पति-पत्नी दोनों के दोनों दोनों दोनों के एक स्थान पर पदरथापित किये जाने के आधार पर प्रतापगढ़ जिले से डूंगरपुर जिले में रथानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा 2/2009 पाठ जयपुर के अनुसार अध्यापक लेवल-2 के रथानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्रशिक्षा/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के एक ही स्थान अथवा निकटतम स्थान पर पदरथापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के विन्दु संख्या 03 में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र सरकार लोक सेवा आयोग, राजस्थान कम्युनिटी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला जावडन पंश्चात् काउसलिंग में वर्तयित प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post" उक्त प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित रथानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिस्थितिक पारिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पंक्ति में रथानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा रथानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही रथानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों व पति-पत्नी प्रकरण के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा प्रतापगढ़ जिले से डूंगरपुर जिले में रथानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वर्तुरिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उधित नहीं पाई गई है। मांग उवित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निर्स्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 10/05/2022

क्रमांक:- शिविर-मा./संस्था/एफ-2/को.को./जोध/12834/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

कार्यालय पता- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दूरभाष 0151-2522238 Email- dir.dse@rajasthan.gov.in

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, प्रतापगढ़
3. सिरटम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / वी-२ / जोध / नि. / 29802 / वी
5. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / वी-२ / जोध / नि. / 29802 / वी / 2022 / 4 दिनांक 08.04.2022
6. याचिकार्थी हमन्त कुमार साद, अध्यापक लेवल-2, रामावि, कालकीमाता, प.स.-धरियानाद, जिला-प्रतापगढ़ (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

